पत्रांक–भवन / बजट–46–विविध (अनुसूचित जाति / जनजाति)–23 / 2024–25 7593(21)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना

पटना, दिनांक– 13/8/26

विषय– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु **वित्तीय वर्ष 2026–27** कुल **₹ 75,97,225 / –(पचहत्तर लाख संतानवे हजार दो सौ पच्चीस रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹75,97,225 / –(पचहत्तर लाख संतानवे हजार दो सौ पच्चीस रूपये)** मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2026–27** में प्रदान की जाती है :–

क	भवन प्रमंडल का नाम	योजना / कार्य का नाम	अधियाचना आई०डी० संख्या	प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, सासाराम	Renovation of SC/ST+2 boys H.S Rameshwar Ganj in Distt of Rohtas Sasaram.	32445	115 / 04.09.24	₹ 35,07,461 / – (पैंतीस लाख सात हजार चार सौ इकसठ रूपये)
2.	भवन प्रमंडल, गोपालगंज	गोपालगंज जिलान्तर्गत डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय +2 एवं 150 शैया वाले उच्च विद्यालय हथुआ के मरम्मति / रंग–रोगन कार्य	32856	121 / 18.09.24	₹ 40,89,764 / – (चालीस लाख नवासी हजार सात सौ चौंसठ रूपये)
		कुलः–			**₹ 75,97,225 / –**

(पचहत्तर लाख संतानवे हजार दो सौ पच्चीस रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के मुख्यशीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य–उपमुख्यशीर्ष–60–अन्य भवन –लघुशीर्ष–053–रख रखाव तथा मरम्मत–उपशीर्ष–0014–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भवन का अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु विपत्र कोड–03–2059600530014 के विषयशीर्ष–27-02–अनुरक्षण एवं मरम्मत अन्तर्गत उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2026–27** में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 7593(21) पटना, दिनांक– 13/8/26

प्रतिलिपि–सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना / संबंधित जिला पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।